न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –569 / 2022
अनवान : –

1. विमला पुत्री सुखराम पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी परलीका हाल निवासी चुली बागड़िया तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
2. मंजु पुत्री सुखराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी परलीका हाल निवासी चुली बागड़िया तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

– वादीयान

बनाम्

1. राकेश पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. विद्या देवी पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बाला पुत्री सुखराम पत्नी रिछपाल जाति जाट निवासी परलीका हाल निवासी चुली बागड़िया तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
3. ओमप्रकाश पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. नोरंगलाल पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिह खुडिया अधिवक्ता वादीयान
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक : 06/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीयान ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 39 / 34 के प.न. 367 / 415 मु.न. 343 के किला नं. 2 ता 4 की 0.7590 हैक्टर भूमि, 7 ता 9 की 0.7590 हैक्टर,, 12 ता 14 की 0.7590 हैक्टर, 17 ता 19 की 0.7590 हैक्टर, 23 की 0.2530 हैक्टर भूमि कुल 3.2890 हैक्टर भूमि स्थित है, एवं रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 38 / 33 के प.न. 367 / 415 मु.न. 343 के किला नं. 1, 10, 11 की 0.7590 हैक्टर, व किला नं. 20 ता 22 की 0.7590 हैक्टर कुल 6 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 154 / 131 के प.न. 368 / 422 मु.न. 50 के किला नं. 9 की 0.2530 हैक्टर, 10 / 1 की 0.2280 हैक्टर, 10 / 2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 11 / 1 की 0.2020 हैक्टर, 11 / 2 की 0. 0250 हैक्टर, गै.मु. रास्ता, 11 / 3 की 0.0260 हैक्टर, गै.मु. रास्ता, 12 / 1 की 0.2270 हैक्टर, 12 / 2 की 0.0260 हैक्टर भूमि कुल 9 किता की [illegible] हैक्टर भूमि है। एवं रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर.–ए तहसील नोहर के [illegible] 380 / 416 मु.न. के किला नं. 3 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 3 / 2 की 0.2280 हैक्टर, 4 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4 / 2 की 0.2280 हैक्टर, 5 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 5 / 2 की 0. 2280 हैक्टर, 6 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:26:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

8 की 0.7590 हैक्टर, 13 ता 15 की 0.7590 हैक्टर, 16 ता 18 की 0.7590 हैक्टर, कुल 15 किता की 3.0360 हैक्टर भूमि स्थित है। रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर.–ए तहसील नोहर के खाता सं. 7/5 के प.न. 367/416 मु.न. 8 के किला नं. 1/1 की 0.2270 हैक्टर, 1/2 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 2/1 की 0.2280 हैक्टर, 2/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 3/1 की 0.2280 हैक्टर, 3/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 8 ता 10 की 0.7590 हैक्टर, 11 ता 13 की 0.7590 हैक्टर, 18 ता 20 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 15 किता की 3.0360 हैक्टर भूमि स्थित है। एवं रोही मौजा चक 2 आर.एम.एस. तहसील नोहर के खाता सं. 11/14 के प.न. 366/415 मु.न. 81 के किला नं. 4 ता 6 की 0.7590 हैक्टर, 7 की 0.2530 हैक्टर, 13 ता 15 की 0.7590 हैक्टर, 16 ता 18 की 0.7590 हैक्टर, 23 ता 25 की 0.7590 हैक्टर, कुल 13 किता की 3.2890 हैक्टर भूमि स्थित है। एवं रोही मौजा चक 3 आर.एम.एस. तहसील नोहर के खाता सं. 11/5 के प.न. 354/412 मु.न. 14 के किला नं. 22 की 0.2530 हैक्टर, 23/1 की 0.2280 हैक्टर, 23/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 24–25 की 0.5060 हैक्टर भूमि प.न. 354/413 मु.न. 20 के किला नं. 2/1 की 0.2280 हैक्टर 2/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 3/1 की 0.2020 हैक्टर, 3/2 की 0.0510 हैक्टर भूमि 4–5 की 0.5060 हैक्टर भूमि कुल 2. 0240 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि में पूर्व वादीयान के दादा रावतराम खातेदार काश्तकार थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान ओमप्रकाश – कृष्ण कुमार, सुखराम – नोरगलाल पर औद हुई तथा सुखराम फौत हो चुका है। जिसके वारिसान वादीयान व प्रतिवादी सं 1 उसका पुत्र एवं प्रतिवादीया सं. 3 पुत्री एवं प्रतिवादीया सं. 2 उनकी पत्नि उनकी जगह विधिक वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 हुए। वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं. 39 / 34 की कुल तादादी 3.2890 हैक्टर भूमि है जिसमें प्रतिवादीया स. 2 के नाम दर्ज भूमि 1 / 20 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं.38 / 37 की कुल 1.5180 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम दर्ज 1 / 20 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है, एवं रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 154 / 131 की कुल तादादी 1.0120 हैक्टर भूमि में मृतक सुखराम के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है, एवं रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 7 / 5 की कुल तादादी 3.0360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम दर्ज 1 / 8 हिस्सा भूमि में से वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 05 / 3 की कु तादादी 3.0360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 2 का 607 / 30360 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 154 / 131 की कुल तादादी 1.0120 हैक्टर भूमि में मृतक सुखराम के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:26:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है उपरोक्त हक व हिस्सा की वादीयान घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने क अधिकारिणी है। यह बिनाय दावा है।

वाद भूमि का खाता व लगान संयुक्त तौर से है वादीयान ने अपने हक व हिस्सा की भूमि में काफी मेहनत एवं परिश्रम करके उपजाऊ एवं समतल बना रखी है तथा सींव डोल भी अलग कायम कर रखी है। तथा वादीयान की सुधारी हुई भूमि देखकर प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गई है तथा अच्छी किस्म की भूमि प्राप्त करने व कब्जे काश्त में मदाखलत करने लगे है। तथा सींव –डोल कब्जा काश्त बाबत झगडा रखने लगे है। इसलिए वादीयान वाद भूमि में अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी भूमि के अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान अलहदा –अलहदा करवापाने के अधिकारिणी है। वाद भूमि का मुश्तरका खाता होने से प्रतिवादीगण वादीयान की कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा करने पर आमादा है जबकि वादीयान ने अपने खेत की सींव डोल अलग–अलग कायम कर रखी है। भूमि को उर्वरा शक्ति बढाने के लिए मेहनत व रूपये खर्च की है। एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 को अपने जैर असर में कर रखा है तथा प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादीया सं. 2 के नाम दर्ज भूमि को रहन/बैय करवाना चाहता है। तथा प्रतिवादी सं. 1 शराबी किस्म का व्यक्ति है जो अपनी लतो को पुरा करने के लिए प्रतिवादीया सं. 2 के नाम दर्ज भूमि को रहन/बैय करवाने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि का बैयनामा करवा देते है तो वादीयान को अपूर्णीय क्षति कारित होती है। जिसकी भरपाई करना किसी कदर सम्भव नही है। इसलिए वादीयान प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने काअधिकारिणी है कि वादग्रस्त भूमि का मुताबिक हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार अच्छी माडी के हिसाब से खाता व लगान अलग–अलग नही हो जाता है तब तक वाद भूमि को प्रतिवादीगण रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध की डिक्री जारी करवापाने क अधिकारिणी है। एवं वादीयान उपरोक्त आशयों की घोषणा न्यायालय से करवापाने की अधिकारिणी है। बिनाय दावा है।

अत वाद वादीयान घोषित किया जावे कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं. 39/34 की कुल तादादी 3.2890 हैक्टर भूमि है जिसमें प्रतिवादीया स. 2 के नाम दर्ज भूमि 1/20 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं.38 / 37 की कुल 1.5180 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम दर्ज 1 / 20 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है, एवं रोही मौजा चक 15 एन. टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 154 / 131 की कुल तादादी 1.0120 हैक्टर भूमि में मृतक सुखराम के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है, एवं रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 7 / [illegible] हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 2 के नाम दर्ज 1 / 8 हिस्सा भूमि में [illegible] 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा चक [illegible] नोहर के खाता सं. 05 / 3 की कु तादादी 3.0360 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीया सं. 2 का [illegible]/30360 हिस्सा भूमि में रोही मौजा चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:26:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

15 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 154/131 की कुल तादादी 1.0120 हैक्टर भूमि में मृतक सुखराम के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा भूमि में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है उपरोक्त हक व हिस्सा की वादीयान घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने क अधिकारिणी है एवं वादीयान प्रतिवादीगण से खाता व लगान अलहदा–अलहदा करवापाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को विधिवत सम्यक नोटित तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 2 व सुखराम के नाम दर्ज है जो की वादीयान के माता व पिता है वादीयान के पिता सुखराम का देहान्त हो चुका है एवं सुखराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है एवं प्रतिवादी स0 2 जो की वादीयान की माता है के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीयान व प्रतिवादी स0 1 व 3 का प्रतिवादी स0 2 के साथ बहिब जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए वादीयान प्रतिवादी स0 2 व सुखराम के नाम दर्ज भूमि में से अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवाकर मुताबिक किस्म खाता व लगान अलग करवाना पाने के अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा 7 बारानी के खाता स0 38/33 में एवं 39/34 में भूमि प्रतिवादी स0 2 के व रोही मौजा 15 एनटीआर के खाता स0 154 में सुखराम के नाम दर्ज एवं अन्य चकों की वाद भूमि वादीयान व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 2 व सुखराम के नाम दर्ज है जो की वादीयान के माता व पिता है वादीयान के पिता सुखराम का देहान्त हो चुका है एवं सुखराम के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है एवं प्रतिवादी स0 2 जो की वादीयान की माता है के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीयान व प्रतिवादी स0 1 व 3 का प्रतिवादी स0 2 के साथ बहिब जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए वादीयान प्रतिवादी स0 2 व सुखराम के नाम दर्ज भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:26:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवाकर मुताबिक किस्म खाता व लगान अलग करवाना पाने के अधिकारी है। वादीयान द्वारा रोही मौजा चक 7 बारानी में प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि में से अपने हकों की घोषणा चाही गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के मुताबिक रोही मौजा चक 7 बारानी की वाद भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज है लेकिन अधिवक्ता वादीयान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की वाद भूमि प्रतिवादीया स0 2 के कैसे व कब दर्ज हुई है अर्थात उक्त भूमि पैतृक है के संबंध में वादीयान द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के मताबिक पैतृक भूमि में ही वारिसान का जन्मजात हक हिस्सा होता है। अतः प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि वादीयान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक पैतृक भूमि होना साबित नही है इसलिए वादीयान घोषणा करवा पाने के भी अधिकारी नही है एवं जब वादीयान अपने नाम उक्त भूमि को दर्ज करवाने के अधिकारी नही है तो खाता व लगान भी अलग करवा पाने के अधिकारी नही है। अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:26:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –569 / 2022
अनवान : –

1. विमला पुत्री सुखराम पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी परलीका हाल निवासी चुली बागड़िया तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
2. मंजु पुत्री सुखराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी परलीका हाल निवासी चुली बागड़िया तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

– वादीयान

बनाम्

1. राकेश पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. विद्या देवी पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बाला पुत्री सुखराम पत्नी रिछपाल जाति जाट निवासी परलीका हाल निवासी चुली बागड़िया तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।
3. ओमप्रकाश पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. नोरंगलाल पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 569 सन 2022 निर्णय दिनांक 06/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीयान श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:26:15 IST
Reason: SelfAttested